



संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
Raibareli Road, Lucknow- 226 014 (U.P.), INDIA
Phones: 0522-2668004-8, 2668700-800-900
Fax: 91-0522- 2668017, 2668078

पत्रांक—पी० जी० आई० /मुख्य चिकित्सा अधी०/अधित्ते० / १५ / २०२४
(पत्रावली आर० एस० डी० सं०— विविध पत्रावली)

दिनांक : १९ फरवरी, 2024

परिपत्र

संलग्न महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या—आर—18/6/2023—पीआरपीपी(आरयू-३) दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 द्वारा निर्गत 'मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी' में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में संबंधित संकाय सदस्य/अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि 'मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी' का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—यथोक्त।

(प्रो० राधा कृष्ण धीमान)
निदेशक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित —


1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ।
3. कार्यकारी कुलसचिव, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ।
6. अपर चिकित्सा अधीक्षक, एपेक्स ट्रामा सेन्टर, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ।
7. विभागाध्यक्ष, बायोस्टेटिस्टिक्स एण्ड हेल्थ इन्फारमेटिक्स विभाग, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस परिपत्र एवं इसके साथ संलग्न 'मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी' को संस्थान की बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त नोडल अधिकारी, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ।
9. नोडल अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस०, लखनऊ।
10. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

(प्रो० राधा कृष्ण धीमान)
निदेशक

संख्या. No. १९६६४९/२०२४/प्राइवेट दि १८/१/२४

प्रतिपक्षी
विकल्पी एव साक्ष्य संवादे
उत्तर प्रदा लक्षण ।

新民／新興



१. निरामिनेशक, विकितसो निष्ठा एवं प्रशिक्षण, उपरोक्त।
 २. हिंसा निरामिनेशक, उपरोक्त।
 ३. गुण कोर्टजारी अधीकारी, आयुष्मान भारत, ४५८८, नहवेतना केंद्र, १० अमौरा का मार्ग, लखनऊ।
 ४. निरामिनेशक(उच्च विकास), उच्च विकितसो निष्ठा एवं प्रशिक्षण, उपरोक्त।
 ५. निरामिनेशक (चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य भवन, उपरोक्त।
 ६. निरामिनेशक, मानविक इवारण्ड संस्थान एवं विकितसो निष्ठा एवं प्रशिक्षण, उपरोक्त।
 ७. निरामिनेशक, मानविक विकितसो निष्ठा एवं प्रशिक्षण, उपरोक्त।
 ८. निरामिनेशक, नायकिक विकितसो निष्ठा एवं प्रशिक्षण, उपरोक्त।
 ९. निरामिनेशक (आध्यात्मिक विकास), उपरोक्त, लखनऊ।
 १०. निरामिनेशक, विद्यारंगाजन समाजसेवा कर्मण विभाग, उत्तर प्रदेश।
 ११. निरामिनेशक, समाजसेवा कर्मण विभाग, उपरोक्त।
 १२. गुण कार्यकारी अधीकारी, राष्ट्र मानविक इवारण्ड प्राधिकरण, उपरोक्त।
 १३. राष्ट्र मानविक इवारण्ड (स्वास्थ्य), मानवाधिकार १५८, स्वास्थ्य भवन, उपरोक्त।
 १४. राम द्वारा भूमि विकितसो अधीकारी, उपरोक्त।
 १५. संस्कृत मुख्य विकितसो अधीकारक, जिला विकितसो निष्ठा एवं प्रशिक्षण, उपरोक्त।

टिकटक १६ दिसंबर, 2023
प्राप्ति - भवा संस्कृत वाचनालय का प्रबोधन साथ मैरिट मानविक विद्यालय पठानकोटी का अनुदान सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।
प्राप्ति - वाचनालय / वाचनालय

पृष्ठा मानविक राष्ट्रीय मनव विविकार आयोग, नहीं विलसी के पक्ष संख्या-
आर-18/४/२०१८/३५३६ अमारपीठी(आयोग-३), दिनांक- 10, नवम्बर 2023 द्वारा निर्णत "मानविक स्वास्थ्य परिवर्तन"
का संदर्भ ग्राहण गरेको का काट उन्ने विलसी मानव से मारा शारीरिक मानविकार आयोग, जहाँ विलसी द्वारा सुनियुक्त
"मानविक स्वास्थ्य परिवर्तन" में दिये गए विश्व-निर्देशों का अकारहा अनुपालन हितों जाने के निर्देश प्रदान किये
गये हैं।

उपरोक्त रूप से मापसे अनुरोध है कि माध शास्त्रीय मानवाधिकार आदीग हाश निर्णय मुख्यालिक स्वतंत्रता परमार्थी के अनुभावना हेतु अपने-अपने विचार से संबंधित विषयों पर गण आदवयक कार्यवाही करने पर काट दें। इस तथा कृत कार्यालयी से ५० शास्त्रीय मानवाधिकार आदीग नई दिल्ली को जीवनशास्त्र सम्बन्धी हृषी उत्तरी एक प्रातीं इम्म महानिवृत्तालय का फ्रेगेल Statementship.up@gmail.com पर देखायीज उपलब्ध कराये का काट दें। प्रकटण माननीय अध्यक्षों ने आचारित है, उक्त आपका लक्षितालय घटन अधिकार है।

भवतीय
१९४८-४९) २०३
(स्वीकृतकरण)
निदेशक (सदाशिव)

पुस्तकालय नं०-४५ / माइस्ट्रीज़ / २०१३-१४ /
प्रतिवर्षीय

- प्रत्यानां वैष्णव के पात्रता से निरापेक्षित हो भाद्र सुनार्थ प्रेषित ।
 - प्रथम संस्कृत धर्मकाशा न्यायस्थ एवं परिचार कर्त्याण लग्नात् शासन लक्ष्मणज् ।
 - विषयन निर्देशक शास्त्रीय न्यायस्थ विषयन उपर्युक्त जप्तवाच ।
 - जन्मदूष रात्र्य विधिक लोभा व्याधिकरण अप्यत् त्वयौ इह बनुरोध के साथ प्रेषित आयोग द्वारा निर्गत अनुसिक न्यायस्थ व्याधिर्णी के अनुपालन हेतु सम्बिल विचुद्ध कर्त्तव्य ।
 - अनु जनित विधिकार्य अनुभाग-३ लग्नात् शासन लक्ष्मणज् ।

संग्रह निवारक (मानविकी स्थान्य) गांधीजी, महात्मा जीविता लिखा वैष्णोपाल 303 पट्टा, तराई 74

संख्या: एम०५०-१/२०२४। ७४

ੴ ਪਾਖਿਆਲੀ ਮਾਲਾ

प्रभाविति प्रियमन्मिश्रित द्वारे इस आधार से प्रतिक्रिया की उम्मत परा संघर्ष-प्रक्रिया प्रेस्चाला १२०२३-२४४३७-४५३ दिनांक २६.१२.२०२३ में संदर्भित
महाराष्ट्र, राज्यीय मानव प्रधिकार भाग्योग, नडे टिकटी के पर दिनांक १०.११.२०२३ द्वारा निर्वत मानसिक संस्कृत्य प्रयोगी का अध्ययन
परिज्ञान का वक्तव्य करें।

- कुम्हपटी, नेपालीजनप्रयाप्ति, संस्कृत उत्तर प्रदेश जगत संस्थान, भैफड़, काशी।
 - प्रशान्तियामय, भैमस्त राजकीय मैट्रिकल कालेज संस्कृत स्कूलामी गण्डि विद्यालय महाविद्यालय (पोज-१, पोज-२ एवं पोज-३)
 - ~~मिट्टेलक, बाटु राम मन्त्रीहु नोडिका प्रायुष्यानाम संस्थान, गोमती नगर, संखनउ एसपीजीपीजोजाइ) संठनउ सुपर स्ट्रोकिंगकेन्द्र संस्थान, भैमस्त हस्पिटमेट हस्पिटियट भैमस्त मैट्रिकल साइंसेज, चैटर नोलाम्पु सुपर स्ट्रोकिंगकेन्द्र शास्त्र चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर विद्यालय संस्थान, नोपाल।~~
 - निदेशन, डिप्य रोग संस्थान जेप्पेरो हिन्दू संस्थान, कालापुर।

कालान्तर-विप्रवास

AO(R) / S. Ganguly
20.1.2021

M. K. Jayaram
(मुख्य सचिव)
संघटन प्रभालाला

भरत लाल
महासचिव

Bharat Lal
Secretary General



राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मनव अधिकार भवन, सी-ब्लॉक,
जीपीओ इन्हारेन्ट बाईंसर, नई दिल्ली-110 023 भारत
National Human Rights Commission
Manav Adhikar Bhawan, C-Block,
GPO Complex, INA, New Delhi-110023 India

संख्या आर-18/6/2023-पीआरपीपी(आरयू-3) दिनांक : 10 अक्टूबर, 2023

मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्शी

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के नहर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को देश में मधी मनुष्यों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जिम्मेदारी दीरी गई है। इस संबंध में, आयोग की प्राधिकारिक चिन्ताओं में से एक देश में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों हैं।

2. आयोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए सक्रिय रूप द्वे काम कर रहा है और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के जरूरी स्तर पर कार्यान्वयन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में चिंतित है।
3. इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों वाले व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों के संवर्धन हेतु केंद्र और राज्य सरकारों को मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्शी को स्वीकृति दी है, जिसमें कई सिफारिशें शामिल हैं।
4. केंद्र/राज्य सरकारें/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के सभी संबंधित प्राधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे परामर्शी में की गई सिफारिशों को अक्षरण नापू करें और परामर्शी के कार्यान्वयन की प्रगति हेतु की गई कार्रवाई रिपोर्ट दो महीने के भीतर आयोग की सूचनाएँ भेजें।

भरत लाल
महासचिव

मंलगृहक : मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्शी।

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार
2. मुख्य सचिव/प्रशासक (सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश)


Dear, CMS, MS, fsl / file

Please reply and for compliance

Dehradun
05/10/24



ପ୍ରକାଶ ଦେଖିଲୁଛା ଏହାଙ୍କିମାତ୍ର ନାହିଁ



मानसिक स्वास्थ्य


का ध्यान रखें और सहायता मांगने में संकोच ना करें।

(टेली- मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग)

टेली मानस सेवाएं

24 ઘંટે

उपलब्ध



अधिक जानकारी और सहायता के लिए तुरंत कॉल करें।

टोल फ्री नंबर - 14416 या 1800-891-4416

राष्ट्रीय मानसिक अधिकार आयोग, भारत

10 अक्टूबर, 2023

मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्शी

मानसिक स्वास्थ्य भवास्थ्य की नींव है, जिससे मनुष्य एक सार्थक और सफल जीवन की ओर बढ़ासर होता है। मानसिक स्वास्थ्य मनस्थानों में अक्सर कैबिन दबा और उपचार पर ही जोर दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को समुदाय/समाज में एकीकृत करने से व्यक्तियों के लिए साधियों के साथ जुड़ने, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने और समाज में योगदान करने के अवसर पैदा होते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं के वितरण के दोरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा करने और उससे जुड़े या तत्त्वबद्धी मामलों के लिए एक अधिनियम है।

आयोग जमीनी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन के बारे में चिह्नित है और कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसे संवेदित करने के लिए, आयोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों के लिए यह परामर्शी जारी करता है, जिसमें निम्नलिखित सिफारियों शामिल हैं।

1. मौजूदा कानूनों और नीतियों का कार्यान्वयन

- सभी राज्यों/ केंद्र कानूनों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (अधिनियम, 2017) की धारा 45, 73, 121 और 123 के तहत अनिवार्य मियमों और विनियमों को तैयार करने को ग्राहकीयता देनी चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बीमा पौलिसियों और योजनाओं में मानसिक बीमारियों का उपचार शामिल होना चाहिए।
- क) जैसा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) में परिवर्तन की गई है, राज्य सरकारें सामाजिक कलंक, भेदभाव और मानसिक बीमारी के बारे में समाज में जागरूकता की कमी से विपट्टने के लिए मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भारीदारी और सार्वजनिक जागरूकता सृजन करने वाली गतिविधियों पर जोर देना चाहिए।
- ब) प्रत्येक जिले के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) नामक एक संरचित कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं, जिसमें सामुदायिक कार्यकर्ता शामिल हों।
- ग) आर्थिक रूप से वंचित आशादी के लिए मानसिक विकारों के उपचार की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, मानसिक बीमारी को "आयुष्मान भारत" योजना में शामिल करना आवश्यक है।

- viii.) सभी प्रतिष्ठानों में हर समय साफ-सफाई, स्वच्छता, उचित बेटिलेशन, साफ विस्तर, रक्किए, कपड़े और साफ पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नाथर्लम बालों से कुछ दूरी पर होने चाहिए और बालों से दूर्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता से समाप्त किया जाना चाहिए। सभी मरीजों को आधुनिक सुविधाओं के साथ आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- ix.) सभी रोगियों को उचित कैलोरी युक्त संतुलित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- x.) पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करते हुए, मरीजों को उनके परिवार के करीब बेहतर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठानों को पारिवारिक बालों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने की आवश्यकता है।
- x.i.) मरीज परि निजता के अधिकार को सुनिश्चित बनाते हुए डिजिटलीकृत रिकॉर्ड रखने का कार्य विधिवत रूप से विकसित किया जाना चाहिए। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता हर समय बनाए रखनी चाहिए।
- x.ii.) डायग्रोस्टिक और पैदोलोचिकल नैच जैसी सुविधाएं प्रतिष्ठानों में ही स्थापित की जानी चाहिए।
- x.iii.) सभी प्रतिष्ठानों में दबावों और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए।
- x.iv.) प्रतिष्ठानों में शिकायत निवारण कल स्थापित किए जाने चाहिए, और हर शिकायत और निवारण का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।

3. मानस संसाधन

- i.) हीपीएम, एमडी, डीएमबी, एमफिल, मनोचिकित्सा में पीएमडी, मनोविज्ञान पीएसडब्ल्यू, और हीपीएन और अन्य डिप्लोमा, डिग्री, फेलोशिप, बालि में आवश्यकताओं के अनुराग में अधिक पीजी मीटिंग ब्राई जानी चाहिए। जैसा कि अधिनियम, 2017 की धारा 31(3) के तहत अनिवार्य है, 2027 तक जनसंख्या के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य पर्यंतरणों हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दिशानिर्देशों को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- ii.) एक अलग विषय के रूप में, मनोचिकित्सा को व्यातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बुनियादी मनोचिकित्सा में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए हर अवसर का उपयोग किया जाना चाहिए।
- iii.) डॉ-मनोरोग डॉक्टरों, जाशा कार्यकर्ताओं और वन्य फ्रेंटलाइन कार्यकर्ताओं को सुनियादी निधान में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण मौजूदा विकास किए जाने चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर सेवा प्रदाता, फ्रेंटलाइन कार्यकर्ता, जाशा कार्यकर्ता और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कौशल हार्जिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- iv.) अपेक्षित पेशेवरों, मनोचिकित्सकों, वैद्यानिक मनोवैज्ञानिकों, परामर्श मनोवैज्ञानिकों, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं और मनोरोग नभीं की उपलब्धता सुनिश्चित ही जानी चाहिए।
- v.) संवधित सरकारी एजेंसियों द्वारा एक उचित मानव संसाधन योजना विकसित और कार्यान्वयन की जानी चाहिए।
- vi.) स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में शामिल सभी पेशेवरों को समय पर निदान और उपचार के लिए विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समत्यालों, विशेष रूप से सामान्य भानसेक वीमारियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
- vii.) सभी क्षेत्रों और मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों की हड्डी के नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए।
- viii.) सभी प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ सहित रिक्त पदों को तुरंत मिला जाना चाहिए।
- ix.) ग्रन्तिषानों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को भरीजों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। भरीजों और कर्मचारियों को वेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिलाओं सहित 24x7 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए।
- x.) सभी प्रतिष्ठानों में पेशेवर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- xi.) सरकार द्वारा योग्य कर्मचारियों के साथ काउन्सलर के पदों को स्कूल/कॉलेज स्तर पर और एनएमपीएच/ डीएमपीएच स्तर पर भी शीघ्रता से भरा जाना चाहिए।

4. बाइबलीच और सामूदायिक सेवाएँ

- i.) a) योग के प्रति जागरूकता पैदा करने और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर आम जनना को शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
b) भरीजों को योग चिकित्सा अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए।
- ii.) सभी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को भविकृत करने के लिए एक सामान्य वेब पोर्टल पब्लिक रोमेन में उपलब्ध कराया जाए, ताकि धारा 31 (3) के तहत 10 वर्षों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- iii.) मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने वाले ऐसे और अन्य वर्तुल सेवाओं के लिए भागीड़ तैयार किए जाने चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।
- iv.) मानसिक स्वास्थ्य समत्यालों से श्रस्ति कर्तियों को टेली-मनोचिकित्सा और टेली-परामर्श जैसे डिजिटल कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए।
- v.) टेली-मानस और अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में जागरूकता जनता, विशेषकर मानसिक वीमारियों वाले रोगियों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

5. शीक हो चुके मरीजों का पुनर्वासि

- i.) अधिनियम 2017 की धारा 19 (3) के अनुसार, हाफवे होम सिस्टम को शीघ्रता से प्रदान करने के लिए, पुनर्वासि प्रयासों को कई विभागों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।
- ii.) 'मानसिक स्वास्थ्य' की भी एक विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (i) के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उचरबायित्व निधि दी जानी चाहिए।
- iii.) अधिक व्यापक इष्टिकोण में शारीरिक आयाम, योग, ध्यान, मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा और औषधि उपचार शामिल होना चाहिए। उपचार के लिए मल्टी-मॉडल इष्टिकोण के निर्माण के लिए एक व्यापक एसओपी विकसित की जानी चाहिए।
- iv.) किसी वर्ष के लिए फिर घोषित होने के बाद मरीजों को एक दिन के लिए भी प्रतिष्ठानों में नहीं रखा जाना चाहिए।
- v.) अधिनियम 2017 की धारा 18 के अनुसार, वृद्ध मरीजों के लिए पुनर्वासि प्रावधान प्रदान किए जाने चाहिए जिनकी 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई मरीज छीक होने के बाद भी अस्पताल में रहते हैं। उचित कानूनी नियमों और नीतियों के डाके के तहत आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए, वृद्ध मरीजों के लिए पुनर्वासि प्रावधानों को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- vi.) पुनर्वासि गतिविधियों को मजबूत करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि मरीजों को आवश्यक सकारात्मक शोत्राहन प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठानों में मनोरंजक गतिविधियों के साथ दृश्य-भृश्य गतिविधियों को भी क्षमित किया जाना चाहिए।
- vii.) मरीजों में नई अमताओं के विकास और व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे शीघ्र स्वस्थ होने और सामाजिक पुनर्वास में मदद मिलेगी।

6. राज्यों की सेवाएं

- i.) अधिनियम, 2017 की धारा 27 के तहत अनिवार्य रूप से सुफल कानूनी सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- ii.) मरीजों को आधार कार्ड प्रदान करने और उनके विवरण को अनिवार्य रूप से अद्यतन करने के लिए प्रावधानों में भिन्न आयोजित और स्थापित किए जाने चाहिए।
- iii.) यह देखा गया है कि जिन मरीजों को अपना नाम बाद नहीं है, उनके लिए वैक खाते खोलना और आधार कार्ड प्राप्त करना मुश्किल है। मरिणामन्त्ररूप, वैक खाते/आधार कार्ड के अभाव में उन्हें सरकार से लाभ नहीं मिलता है। इस सुदूर को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाना चाहिए और उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। मरीजों को उनके वैक खाते खोलने/आधार कार्ड प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए, और उन्हें विभिन्न सामाजिक सामों के बारे में जागरूक करना और सुविधावानक बनाया जाना चाहिए।

- iv.) किसी अस्पताल, संस्थान, आश्रम गृह, मामा बाबूस, पुनर्जीव गृह, हास्पे हाउस, दया गृह आदि के परिसर में होने वाली सभी पौत्रों की सूचना 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस को और मृत्यु के 48 घंटे के भीतर प्रशासनिक बोर्डी जानी चाहिए।
- v.) द्रायल में देरी करने के लिए प्रतिष्ठानों को कबर अप संस्थानों के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

7. जन जागरूकता एवं संवेदीकरण

- i.) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में मार्क्यनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी स्थानीय भाषाओं में अभियानों, टेलीविजन, समाचार पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता और संवेदीकरण किया जाना चाहिए।
- ii.) मरीजों और उनके परिवार के मदम्यों को उनके बंक खाते खोलने के लिए उचित सहायता प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें विभिन्न लाभों और सामाजिक योजनाओं के बारे में जागरूक करना और सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
